भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2920

10 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय रक्षा निधि से छात्रवृत्ति

2920. श्री सुनील कुमार सिंह:

श्री नितेश गंगा देब:

श्री सुमेधानन्द सरस्वती:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार "राष्ट्रीय रक्षा निधि" के माध्यम से कार्यरत, सेवानिवृत्त और शहीद रक्षा और अर्ध-सैनिक बलों के कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृति प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या पात्रता मानदंड हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय रक्षा निधि की राशि में बढ़ोतरी की गई है/करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देशभर में 'राष्ट्रीय रक्षा निधि' के माध्यम से राज्य-वार कुल कितनी धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की गई है; और

(ङ) क्या सरकार का आतंकी और माओवादी हमलों में शहीद होने वाले राज्य पुलिस अधिकारी के बच्चों को भी यह सुविधा प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तंर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद नाईक)

(क) जी, हां। सरकार राष्ट्रीय रक्षा निधि से रक्षा एवं अर्धसैनिक बलों के सेवारत (रक्षा एवं राज्य पुलिस को छोड़कर), सेवानिवृत्त और शहीद कार्मिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है।

(ख) राष्ट्रीय रक्षा निधि के तत्वावधान में वर्ष 2006-07 से प्रधान मंत्री छात्रवृति योजना (पीएमएसएस) प्रारंभ हुई थी। छात्रवृत्तियां तकनीकी संस्थानों (मेडिकल, डेंटल, वेटरीनरी, इंजीनियरिंग, एमबीए और एमसीए आदि) में उच्चतर शिक्षा के लिए उपलब्ध हैं और यह

प्रत्येक छात्र के लिए 4 वर्षों तक तथा मेडिकल छात्रों के लिए 5 वर्षों तक उपलब्ध है। इस योजना में नामांकन के लिए शैक्षणिक योग्यता के रूप में 10+2 स्तर पर 60 प्रतिशत अंक और प्रत्येक वर्ष नवीकरण के लिए 50 प्रतिशत अंक अपेक्षित हैं। छात्रवृत्ति की विद्यमान दर (शैक्षणिक वर्ष 2019-20) लड़कों के लिए 2500/- रूपए प्रतिमाह और लड़कियों के लिए 3000/- रूपए प्रतिमाह है। छात्रवृत्ति एवं उसके लिए किए गए बजट प्रावधान का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	नोडल मंत्रालय	लड़कों/लड़कियों के लिए क्रमशः 2000 रू. /2250 रू. प्रतिमाह की दर से वित्तीय वर्ष (2018-19) के लिए छात्रवृत्ति की राशि और संख्या		लड़कों/लड़कियों के लिए क्रमशः 2500 रू. /3000 रू. प्रतिमाह की वर्धित दर से वित्तीय वर्ष (2019-2020) के लिए छात्रवृत्ति की राशि और संख्या		अतिरिक्त बजट
		छात्रवृत्ति की संख्या	कुल राशि प्रति वर्ष	छात्रवृत्ति की संख्या	कुल राशि प्रति वर्ष	
i	रक्षा मंत्रालय	5500	14,02,50,000	5500	18,15,00,000	4,12,50,000
i i	गृह मंत्रालय	2000	5,10,00,000	2000	6,60,00,000	1,50,00,000
i i i	रेल मंत्रालय	150	38,25,000	150	49,50,000	11,25,000
i v	राज्य पुलिस (एमएचए)	विद्यमान नही		500	1,65,00,000	1,65,00,000
	कुल	7650	19,50,75,000	8150	26,89,50,000	7,38,75,000

(ग) जी, हां। राष्ट्रीय रक्षा निधि की राशि बढ़ाई गई है। बढ़ाई गई राशि का ब्यौरा ऊपर भाग (ख) की तालिका में दिया गया है।

(घ) राष्ट्रीय रक्षा निधि से अबतक दी गई छात्रवृत्ति की कुल राशि 347.50 करोड़ रू. है। राज्यवार ब्यौरा नहीं रखा जाता है क्यों कि छात्रवृत्ति योग्यता सूची के आधार पर आबंटित की जाती है। छात्रवृत्ति के रूप मे अबतक दी गई कुल राशि का मंत्रालय वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

मंत्रालय	राशि (करोड़ में)
रक्षा मंत्रालय	299.73 रू.
गृह मंत्रालय	41.72 रू.
रेल मंत्रालय	6.05 रू.
कुल	347.50 रू.

(ङ) जी, हां। शैक्षणिक वर्ष 2019-20 से इस योजना को उन राज्य पुलिस कार्मिकों के प्रतिपाल्यों पर भी लागू कर दिया गया है जो आतंकी/नक्सल हमलों के दौरान मारे गए हैं। इस प्रवर्ग के लिए लड़कों/लड़कियों के लिए क्रमशः 2500 रू./3000 रू. प्रतिमाह की दर से 500 छात्रवृत्ति के लिए 1.65 करोड़ रू. की राशि का बजटीय आबंटन किया गया है। ऐसी छात्रवृत्ति के लिए नोडल मंत्रालय गृह मंत्रालय होगा।

****